

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 8636/2021 को छोड़कर शेष सभी में सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9210/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
2.	7555/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
3.	9227/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
4.	9228/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
5.	9245/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
6.	9024/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
7.	9230/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
8.	9243/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
9.	8581/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
10.	9244/2022	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
11.	9250/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
12.	6638/2019	1(a)	लेटेराइट एवं ऑकर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
13.	9009/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
14.	9249/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
15.	9206/2022	1(a)	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
16.	6417/2019	1(a)	डोलोमाइट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
17.	9162/2022	1(a)	मैगनीज और बेनिफिकेशन प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
18.	9200/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
19.	8670/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
20.	9159/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
21.	9256/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
22.	9039/2022	8(a)	बेयरहाउस	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण

23.	9061/2022	1(c)	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	8636/2021	7(da)	बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	8255/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	8999/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
27.	9007/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति संशोधन	परिवेश पोर्टल पर पुनः आवेदन
28.	9212/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Relist & sent to SEAC
29.	8897/2021	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Relist & sent to SEAC
30.	8948/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

1. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में निम्नानुसार प्रकरणों को SEIAA को अग्रेषित किया गया है राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में की गई अनुशंसा के परिपालन में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-


क्र.	SEAC की अनुशंसा	SEIAA का निर्णय
1	<p>✓ सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की आधारणा के तहत त्वरित एवं समय-सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है ।</p> <p>✓ कृपया मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 108 दिनांक 31/01/22 (जो सिया को भी संबोधित है) का अवलोकन हो, जिसमें प्रमुख, सचिव द्वारा यह निर्देशित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 08/01/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आवेदित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत किये जाने के निर्देश दिए गए थे।</p>	<p>• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रं. F.No. 22-37/2018-IA III दिनांक 19.04.2021 का अवलोकन करें जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही सुनिश्चित किया जाना SEIAA एवं SEAC के लिये अनिवार्य है। इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की जा रही है। ऑफलाईन जानकारी प्राप्त करना भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत है।</p> <p>• जहाँ तक मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.01.2022 का प्रश्न है तो SEAC के पास पर्याप्त समय है जिसमें SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है एवं आगामी बैठक में उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा सकती है।</p>


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण


<p>✓ ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 314 दिनांक 30/03/22 (जो सिया को भी संबोधित है) के अनुसार बी-1 श्रेणी के प्रकरणों हेतु 80 कार्यदिवस तथा बी-2 श्रेणी हेतु 40 कार्यदिवस की समय-सीमा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित की गई है।</p> <p>✓ उपरोक्त निर्देशों के पालनार्थ ही सेक द्वारा, प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो), प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार किये जाते हैं तथा उसका उल्लेख सेक के मिनिट्स में किया जाता है, यदि सभी जबाब ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाने हैं तो कम से कम 15 दिनों का अतिरिक्त समय लगने की संभावना है तथा निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निपटान संभव नहीं होगा जो शासन की मंशानुरूप नहीं होगा।</p> <p>✓ प्रस्तुतीकरण के दौरान वांछित जानकारी जो परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनसे जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त कर प्रकरण में निर्णय लिया जाता है।</p> <p>✓ यदि सिया सेक की उपरोक्त अनुशंसा से सहमत न हो तो भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते हैं।</p> <p>✓ अतः समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।</p>	<p>• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा 105 दिवस निर्धारित की गई है। म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।</p> <p>• SEIAA समिति SEAC द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से सहमत नहीं है।</p> <p>• अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में SEAC द्वारा वांछित जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये। (संलग्न सूची क्रमांक-1)</p>
<p>✓ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,</p>	<p>• यह सही है कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु</p>



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

<p>नई दिल्ली द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया में जब कोई प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जाता है तो उसमें परियोजना प्रस्तावक / फर्म का नाम एवं अन्य विवरण उल्लेखित होते हैं ।</p> <p>✓ ऑनलाईन प्रक्रिया में ही प्रत्येक प्रकरण में, परियोजना प्रस्तावक द्वारा चयनित पर्यावरणीय सलाहकार फर्म का नाम तथा उसके क्यू.सी.आई. एकीडेटेशन का सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना एसओ क्रमांक 648 (ई) दिनांक 03/03/16 के अनुरूप सिर्फ क्यू.सी.आई. एकीडेटेड, सलाहकार को ही (जिसे परियोजना प्रस्तावक ने उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया है) सेक के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने दिया जाता है ।</p> <p>✓ इसी प्रकार सिया द्वारा जारी दिशा-निर्देश (पत्र क्रमांक 2278 दिनांक 13/10/21 एवं 1216 दिनांक 20/6/21) के द्वारा भी परियोजना प्रस्तावकों से शपथ-पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) प्राप्त किया जाता है जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम तथा पंजीकृत योग्य पर्यावरणीय सलाहकार के विवरण दर्ज होते हैं। इन शपथ-पत्रों के अपलोड करने के पश्चात् ही प्रकरण सिया द्वारा स्वीकार कर पंजीबद्ध किया जाता है ।</p> <p>✓ सिया द्वारा पुनः प्रेषित कई प्रकरणों में जिनमें पर्यावरणीय सलाहकार / परियोजना प्रस्तावक (जो प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित हुए थे) के नाम का उल्लेख है, को भी पुनः सेक को अग्रेषित किया गया है ।</p> <p>✓ उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक का नाम/फर्म का नाम तथा पर्यावरणीय सलाहकार के विवरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन फार्म में पूर्व से ही, उपलब्ध होते हैं, अतः पुनः उनका कार्यवाही विवरण में उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी परियोजना प्रस्तावक तथा सलाहकार का नाम कार्यवाही विवरण में लिखे जाने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है ।</p>	<p>परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करते समय परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार का नाम आवेदन में उल्लेखित किया जाता है ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • उल्लेखनीय है कि SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के स्थान पर परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार के द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति भी प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होते हैं जिनका नाम ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर प्रकरण क्र 6376 एवं 6534 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मोहम्मद अब्बास अंकित है जबकि प्रस्तुतीकरण में श्री रहमानी उपस्थित हुए इसी तरह अन्य प्रकरणों में भी इस तरह की भिन्नता देखी गई है। • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन क्र. J-11013/41/2006-IA.II(I) दिनांक 17.03.2010 में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि कार्यवाही विवरण में पर्यावरण स्वीकृति/ToR के प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित अधिकृत सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का नाम अनिवार्यतः अंकित किया जाये। • अतः SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व उनके अधिकृत व्यक्ति एवं पर्यावरण सलाहकार का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। ताकि यह सुनिश्चित हो कि अधिकृत व्यक्ति/पर्यावरण सलाहकार द्वारा ही अपनी उपस्थिति दी है, उसके द्वारा की गई घोषणाओं एवं जानकारी परियोजना प्रस्तावक हेतु बंधनकारी है। (संलग्न सूची क्रमांक-1) • उचित होगा कि प्रस्तुतीकरण के समय उपस्थित अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर भी प्राप्त किये जायें। अगर
---	---


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**


	<p>✓ यदि सिया सेक की उपरोक्त अनुशंसा से सहमत न हो तो भविष्य में परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन / ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम कार्यवाही विवरण में अंकित किया जाये।</p> <p>✓ अतः समिति का मत है कि पूर्व में जिन प्रकरणों पर सेक द्वारा अनुशंसा की जा चुकी हैं उनको उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सिया को पुनः अग्रेषित किया जाये (संलग्न सूची, क्रमांक-1)</p>	<p>व्यक्ति ऑनलाईन जुड़े तो उनके Screenshot लिये जा सकते हैं।</p>
	<p>✓ समिति इस बात से सहमत है कि "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है"।</p> <p>✓ माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा, सिविल अपील क्रमांक 4503/2022 में दिनांक 20/07/22 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है :-</p> <p><i>"No mining shall be carried out in terms of the e-auction dated 16/11/21 without finalizing the District Survey Report".</i></p> <p>संभवतः छतरपुर जिले के रेत खनन से संबंधित प्रकरण है।</p> <p>✓ यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा जो भी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति को प्राप्त हो रही है उनका त्वरित परीक्षण कर मतांकन से सिया को अवगत कराया जा रहा है।</p> <p>✓ समिति की 585वीं बैठक दिनांक 13/07/22 में लिए गए निर्णय के अनुरूप सदस्य सचिव के पत्र क्रमांक 232 दिनांक 18/07/22 के द्वारा (प्रतिलिपि सिया को भी पृष्ठांकित है) समस्त कलेक्टरों, सभी संबंधित जिला खनिज अधिकारियों एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को शीघ्र नवीन जिला सर्वेक्षण</p>	<p>• इस संबंध में लेख है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2018 अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन 05 वर्ष हेतु किया जाता है। अतः जिन जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEIAA द्वारा किया जा चुका है तथा उन जिलों के ऐसे प्रकरण जिनकी जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है, में सशर्त पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा सकती है। क्योंकि पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जावेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी भी उनके पत्र के माध्यम से अभिप्रमाणित कर रहे हैं।</p> <p>• यह भी उल्लेख है कि जिन जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हो गई है परंतु अनुमोदन नहीं हुआ है ऐसे प्रकरणों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन होने के उपरांत ही अनुशंसित किया जाये।</p> <p>• SEIAA द्वारा 724वी बैठक दिनांक 17.05.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय 'जिन जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEIAA कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्राप्त हो रही हैं उन जिलों के परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाईन आवेदनों को स्वीकार कर SEAC को परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रेषित किये जायें' अनुसार ही ऑनलाईन आवेदन स्वीकार कर प्रकरण SEAC को</p>

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


<p>रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं ।</p> <p>✓ अवगत होना चाहेंगे कि सिया द्वारा सेंड माईनिंग के कुछ प्रकरणों में (सिया की 719वीं बैठक दिनांक 21/04/2022-प्रकरण क्रमांक-7733 /2020 के कार्यवाही विवरण अनुसार) सशर्त अनुमति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें यह शर्त लगाई गई है कि -</p> <p>“माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 22/02/22 एवं 04/03/22 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन होने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा” ।</p> <p>✓ किंतु समिति इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसे प्रकरण जिनको बिना नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सिया द्वारा ऑनलाईन स्वीकार कर लिया गया है, तथा सेक को इस मत के साथ वापिस भेजा गया कि</p> <p>“नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा के पश्चात् इन प्रकरणों को सिया को प्रेषित किया जाये”</p> <p>✓ अतः समिति का मत है कि सिया द्वारा पुनः परीक्षण हेतु जब तक संबंधित जिलों की नवीन/ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण सेक द्वारा किया जाकर उसका अनुमोदन सिया द्वारा नहीं किया जाता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को या तो डिलिस्ट किया जाये या abeyance में रखा जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो ।</p> <p>✓ अतः समिति का मत है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य प्राप्त सभी प्रकरणों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय हेतु सिया की</p>	<p>अग्रेषित किये जा रहे हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह भी महत्वपूर्ण है कि SEIAA द्वारा SEAC की अनुशंसा पर ही नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जा रहा है। जबकि SEAC द्वारा अनुशंसित एवं SEIAA द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निरंतर रूप से Updation किया जा रहा है जैसा कि जिला छतरपुर एवं अन्य जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में SEAC की अनुशंसा पर अनुमोदन होने के उपरांत भी जिलों से विभिन्न बिन्दुओं (विशेष रूप से वृक्षारोपण, अक्षांश देशांश, 60 प्रतिशत माईनेबिल मिनरल पोर्टेशियल इत्यादि की जानकारी) जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुमोदन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दर्शित है। • विभिन्न जिलों से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुमोदन की प्रक्रिया में निरंतर रूप से यह देखा जा रहा है कि SEAC द्वारा बारम्बार परीक्षण कर जिलों से सीधे ही जानकारी न प्राप्त करते हुए SEIAA को अग्रेषित की जाती हैं एवं इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को SEIAA द्वारा जिला कलेक्टर के लिये लेख किया जाता है। जिला कलेक्टर से प्राप्त जानकारी को पुनः SEAC को भेजे जाने में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है जबकि SEAC के द्वारा सीधे ही जिलों से एकबार में जानकारी प्राप्त कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु SEIAA को अनुशंसित की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से जिला स्तर से प्राप्त समस्त पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत किया जा सकेगा और अवैध उत्खनन पर भी अंकुश लगेगा। • जहाँ तक नदियों से रेत खनन के प्रकरणों का प्रश्न है, इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया में एनजीटी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश, मानसून के पूर्व रेत का खनन, राज्य शासन का राजस्व, अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश एवं बाजार में रेत की
---	--



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण

	<p>ओर अग्रेषित किया जाये । (संलग्न सूची क्रमांक-1)</p>	<p>समुचित उपलब्धता (कमी की वजह से अनावश्यक मंहगाई पर नियंत्रण) को ध्यान में रखते हुए समयानुसार आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इसकी अन्य गौण खनिज के प्रकरणों से तुलना नहीं की जा सकती।</p>
✓	<p>सिया की 735वीं बैठक दिनांक 11/07/22 में यह सूचित किया है कि बी-1 अथवा बी-2 श्रेणी का है, इसके विस्तृत परीक्षण हेतु सेक समिति का गठन किया गया है। तत्संदर्भ में लेख है कि :</p> <p>➤ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन कार्यप्रणाली हेतु जारी मैनुअल फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तथा मैनुअल फॉर स्टेट पोर्टल (जो परिवेश म. प्र. की बेवसाइट पर उपलब्ध है) में निम्न प्रावधान निहित हैं :-</p> <p>ONLINE SUBMISSION AND MONITORING OF ENVIRONMENTAL CLEARANCES (OSMEC)</p> <p>1.4.2 SEIAA (STATE ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY)</p> <p><i>After receiving the proposal online, SEIAA can examine the proposal for its completeness and the same will be forwarded (after assigning SEIAA file no.) to SEAC (State Environment Appraisal Committee). If proposal is not complete, SEIAA can raise query and may ask PP to submit the complete proposal. If proposal is complete, the same will be forwarded by SEIAA to SEAC for their recommendation. The proposal will come again to SEIAA after the completion of process from SEAC, the SEIAA would process it and will upload the decision.</i></p> <p>1.4.3 SEAC (STATE EXPERT APPRAISAL,</p>	<p>SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाईन आवेदनों को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किया जाता है ना कि गूगल ईमेज के आधार पर। SEAC द्वारा बताये गये दो प्रपोजल नम्बर प्रपोजल क्रमांक- SIA / MP / MIN /191260/2021 तथा SIA/MP/MIN/ 195481 /2021का स्पष्ट अवलोकन करें जिसमें खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 500 मीटर की जानकारी के पत्रानुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल एरिया 5 हेक्टेयर से अधिक हो रहा था जिस कारण उनको बी-1 श्रेणी में आवेदन किये जाने हेतु EDS किया गया था। ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है जिसमें ऑनलाईन आवेदन स्वीकार करते समय गूगल ईमेज का परीक्षण कर बी-1 या बी-2 श्रेणी निर्धारित की गई है।</p> <p>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि SEIAA द्वारा स्वीकार प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण (Screening, Scoping and Appraisal) का काम SEAC का है ना कि SEIAA के प्रशासनिक स्तर का है।</p>


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

COMMITTEE)

After receiving the proposal online from SEIAA, the concerned SEAC can view the proposal (Form-1 and other documents) submitted by PP. They will examine it and may raise query (if any) to SEIAA. After that, SEAC will, conduct the meeting and upload the agenda, minutes of the meeting and recommendation of SEAC on the portal. If, they upload the recommendation, the proposal would be forwarded automatically to SEIAA.

- ✓ अतः समिति का मत है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त आवेदनों की सभी मायनों में स्कूटनी सिया के स्तर पर ही हो जानी चाहिए । प्रकरण किस श्रेणी का है यह एक प्रशासनिक स्तर का निर्णय है जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सिया द्वारा किया जा रहा है, ऐसा मानते हुए समिति द्वारा कार्य संपादन किया जा रहा था, क्योंकि पूर्व में सिया द्वारा कई प्रकरणों में आवेदक के बी-2, श्रेणी में आवेदन करने पर ई.डी.एस. के माध्यम से उसको यह सूचित किया गया है कि आपका प्रकरण बी-1 श्रेणी का है, अतः आप टॉर के लिए आवेदन करें (सुलभ संदर्भ हेतु कृपया ऑनलाईन प्रपोजल क्रमांक- SIA / MP / MIN /191260/2021 तथा SIA/MP/MIN/ 195481 /2021 का अवलोकन हो)
- ✓ सेक में यदि प्रकरण के गूगल इमेज के आधार पर परीक्षण के दौरान कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे कार्यवाही विवरण में उल्लेख कर संबंधित प्राधिकारी से जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है । अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि जब तक प्रकरण तकनीकी रूप से परीक्षण हेतु स्वीकार योग्य न हो, उसे स्वीकार कर सेक को न भेजा जाये, क्योंकि सेक का दायित्व प्रकरणों को अपने स्तर पर लम्बित रखना न होकर त्वरित तकनीकी परीक्षण कर अनुशंसायें सिया को प्रेषित किया जाना है ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

अतः उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार प्रकरणों (संलग्न सूची क्रमांक-1) को **SEAC** को पुनः अग्रेषित किया जाये। इन प्रकरणों में **SEAC** द्वारा ऑफलाईन प्राप्त जानकारी प्रकरणवार कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न कर परिवेश, पोर्टल पर अपलोड की जाये अथवा **ADS** जारी कर जानकारी अपलोड होने पर आवश्यक अनुशंसा की जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

संलग्न सूची क्रमांक-1

1.	Case No 9210/2022 Shri Rajesh Pratap Singh S/o Shri Surendra Pratap Singh, Village - Chakrahan Tola, Naigarhi, Tehsil - Naigarhi, Dist. Rewa, MP - 486340 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (9872 Cum per annum) (Khasra No. 10/3), Village - Pathrauda Kalan, Tehsil - Naigarhi, Dist. Rewa (MP) [275452], (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
2.	Case No 7555/2020 M/s Jindal Earth Mines, R/o 55, Dashahara Maidan, Dist. Ujjain, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.460 ha. (60000 cum per annum) (Khasra No. 347), Village - Pingleshwar, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) (B1)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
3.	Case No 9227/2022 Shri Rahul Tamboliya S/o Shri Gopal Tamboliya, Housing Board Colony, Khacharod, Dist. Ujjain, MP - 311001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (10000 Cum per annum, M-sand - 5000 Cum per annum) (Khasra No. 201), Village - Jhirmira, Tehsil - Khacharod, Dist. Ujjain (MP) [276056] (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
4.	Case No 9228/2022 Shri Mukesh S/o Shri Madanlal, 144, Mahatma Gandhi Marg, Khacharod, Dist. Ujjain, MP - 456224, Prior Environment Clearance for Stone Quarry, in an area of 1.750 ha. (10000 Cum per annum, M-sand - 10000 Cum per annum) (Khasra No. 2176/2440/2), Village - Ghinoda, Tehsil - Khacharod, Dist. Ujjain (MP) (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
5.	Case No 9245/2022 Shri Dashrath S/o Shri Keshavram Bamoriya, 64, Housing Board, Khacharod, Dist. Ujjain, MP - 456224, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.0 ha. (Stone - 5000 Cum per annum, M-sand - 5000 Cum per annum) (Khasra No. 2176/2440/2), Tehsil - Khacharod, Dist. Ujjain (MP) (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
6.	Case No 9024/2022 M/s Sitaram Stones, Partner, Shri Dharmendra Dantre, B-11, Purushottam Vihar, Gole ka Mandir, Dist. Gwalior, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.640 ha. (228000 Cum per annum) (Khasra No. 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130), Village - Dirman, Tehsil - Gohad, Dist. Bhind (MP) [71871] (EIA) (B1)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**


7.	Case No 9230/2022 Shri Mohit Maheshwari S/o Shri Omprakash Maheshwari, Narayan Baag Ke Pass, Chawani Agar, Dist. Agar Malwa, MP - 465441, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (16000 Cum per annum) (Khasra No. 478 Part), Village - Jamali, Tehsil - Barod, Dist. Agar Malwa (MP) [274625] (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
8.	Case No 9243/2022 Shri Jitendra Soni S/o Shri Girdharilal Soni, R/o Village - Ojhar, Tehsil - Rajpur, Dist. Badwani, MP - 451447, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10640 Cum per annum) (Khasra No. 516/1), Village - Danod, Tehsil - Rajpur, Dist. Badwani (MP) [276815] (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
9.	Case No 8581/2021 Shri Sanjay Patidar S/o Shri Shobharam Patidar, Anjad, Dist. Barwani, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (38800 cum per annum) (Khasra No. 24), Village - Palasia, Tehsil - Anjad, Dist. Barwani (MP) [63182] (EIA), (B1)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
10.	Case No 9244/2022 M/s Shriram Construction and Building Material Supplier, Prop., Shri Yogendra Pratap Singh, Jakira house, Ghurdang Raghurajnagar, Dist. Satna, MP - 485666, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.804 ha. (11000 Cum per annum) (Khasra No. 49/1/kha/1/1, 49/1/kha/1/2, 49/1/kha/2), Village - Bela, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna (MP) (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
11.	Case No 9250/2022 Shri Deep Narayan Singh, S/o Shri Rajendra Patap Singh, R/o- Village-Akauna, Post- Aber, Dist. Satna, MP - 485226, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.613 ha. (14950 Cum per annum) (Khasra No. 395/1 (P)), Village - Patarhai, Tehsil - Rampur-Baghelan, Dist. Satna (MP) [277670] (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
12.	Case No. - 6638/2019 Shri Rohit Kumar Agrawal, 47, Prabhat Vihar Colony, Panna Naka, Dist. Satna, MP, Prior Environment Clearance for Laterite and Ochre Mine in an area of 11.654 ha. (Laterite - 60000 cum per annum, Ochre - 8000 cum per annum) (Khasra No. 102P, 103P, 133P), Village - Pagar Kala, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna (MP) (EIA) (B1)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
13.	Case No 9009/2022 Smt. Ashiya Begam, Village - Mehandwani, Tehsil - Shahpura, Dist. Dindori, MP - 481990, Amendment in Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (3800 Cum per annum) (Khasra No. 626/1), Village - Mehandwani, Tehsil - Shahpura, Dist. Dindori (MP) [252691]	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
14.	Case No 9249/2022 Shri Vaibhav Gandhi S/o Shri Vijay Gandhi, 21, Kila Marg, Jobat, Dist. Alirajpur, MP - 457990, [277662] Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.60 ha.	Case consider in 586th SEAC meeting dated


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वीं बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

	(47025 Cum per annum) (Khasra No. 78, 81, 279, 280, 281, 286, 287, 288), Village - Kolyabayda, Tehsil - Jobat, Dist. Alirajpur (MP) (B2)	21.07.2022.
15.	Case No 9206/2022 M/s Shri Shyam Ji Minerals, Prop., Shri Amol Singh Ahirwar S/o Shri Ratan Ahirwar, Village - Chanari, Post - Atta, Tehsil - Malthone, Dist. Sagar, Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (1500 Cum per annum) (Khasra No. 162/3, 162/4), Village - Chanari, Tehsil - Malthone, Dist. Sagar (MP) [270823] (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
16.	Case No. - 6417/2019 Shri Rana Pratap Singh, R/o Suryanchal Garhi, VPO Ghuwara, Dist. Chhatarpur, MP, Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 18.21 ha. (77010 cum per annum) (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) (EIA) (B1)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
17.	Case No 9162/2022 M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP, SHri Shubham Jain, Partner, Main Road, Goberwahi, Dist. Balaghat, MP - 481445, Prior Environment Clearance for Green Field Project of Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity - 0.5 MTPA) at Village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat,	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
18.	Case No 9200/2022 Shri Shyam Singh Chouhan S/o Shri Tej Singh Chouhan, Paavti, Tehsil - Garoth, Dist. Mandsaur, MP - 458880 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 2625), Village - Paavti, Tehsil - Garoth, Dist. Mandsaur (MP) [273114]	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
19.	Case No 8670/2021 M/s Mahadev Stone Crusher Industries, Shri Abhay Singh, Partner, 201, Tansen Nagar, Dist. Gwalior, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.332 ha. (23726 cum per annum) (Khasra No. 05), Village - Chirpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) (EIA) (B1)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
20.	Case No 9159/2022 M/s Vijay and Company, Shri Anshuman Rai, Partner, Rai Bhawan, Katni Road, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, MP - 485771, Prior Environment Clearance for Stone / M-Sand Quarry in an area of 3.610 ha. (85500 Tonne per annum) (Khasra No. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) (B2)	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
21.	Case No 9256/2022 Smt. Meena Patel W/o Shri Kuldeep Patel, Plot no B/18 Kashoda Nahar, Madhotal, Baldevbag, Dist. Jabalpur, MP - 482002, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.20 ha. (11400 cum per annum) (Khasra No. 184) Village - Dhadhra, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur,	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

2. प्रकरण क्र. 9039/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स लाईफ केयर लॉजिस्टिक प्रा.लि., निदेशक, श्री वैभव राय, निवासी 37-38, तहसील सावेर, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा डेवलपमेंट कमर्शियल वेयरहाउस, ग्राम पिरकराडिया, तहसील सावेर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में 736वीं दिनांक 12.07.2022 के निर्णय के परिपेक्ष्य में, निम्न जानकारी उपलब्ध कराने हेतु, परियोजना प्रस्तावक के पत्र क्र. 1187 दिनांक 14.07.2022 एवं ADS के माध्यम से जानकारी भेजने हेतु निर्देश दिये गये थे।


उपरोक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन जानकारी दिनांक 26.07.2022 को जानकारी प्रेषित की गई थी। उक्त जानकारी Life Care Logistic द्वारा निम्नानुसार दी गई -

क्र.	प्राधिकरण द्वारा चाही गई जानकारी	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS के माध्यम से प्राप्त जानकारी
1.	परियोजना प्रस्तावक के अनुसार उक्त परियोजना की अनुमानित लागत रु 126 करोड़ है परियोजना में प्रस्तावित दो गोदाम पूर्ण होने का व्यय रु 9.95 करोड़ बताया गया है जो कि लागत कि तुलना में असंगत प्रतीत होता है इस कारण भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति कम दिख रही है, इसकी पुष्टि हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है, कि वर्ष 2020-2021 तक का इनकम टैक्स Return, बैलेंसशीट एवं जीएसटी रिटर्न की सत्यापित अद्यतन प्रति जमा करे।	परियोजना प्रस्तावक ने अपनी कंपनी लाईफ केयर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय डेटा को साझा करने में अपनी असमर्थता जताई है, क्योंकि इसमें अन्य सहायक कंपनिया जुड़ी हुई है और वित्तीय डेटा/लोन Details संयुक्त, अविभाज्य और Confidential है।
2	साथ ही इस परियोजना हेतु किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लिया गया हो तो SEIAA में आवेदन दिनांक तक बैंक द्वारा दिनांकवार उपलब्ध कराई गई राशि की सत्यापित जानकारी प्रस्तुत करे।	
3	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में की गई वैधानिक कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु स्मरण पत्र लिखा जाये।	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी अपेक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रकरण पर्यावरण उल्लंघन के अंतर्गत विचाराधीन हैं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक प्रचलन प्रक्रिया के अधीन अर्थदण्ड का निर्धारण करने हेतु निर्माण की वास्तविक लागत ज्ञात की जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा चाही गई कम्पनी की बेलेंस शीट/वित्तीय पत्रक, आयकर रिटर्न एवं जीएसटी रिटर्न वैधानिक रूप से रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, आयकर विभाग एवं जीएसटी आयुक्त को प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य हैं। चूंकि कम्पनी ने प्रोजेक्ट पर कार्य 2014 के आस-पास प्रारंभ कर दिया था और पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन फरवरी 2022 में किया है अतः वर्ष 2022 के पूर्व की जानकारी संबंधित विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः जानकारी प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होना


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


चाहिए। परियोजना प्रस्तावक के पक्ष को जानने के लिये प्राधिकरण की आगामी बैठक में उक्त जानकारी के साथ बुलाया जावे, जिससे प्रकरण में निर्णय लिया जा सकें।

3- **Case No. - 9061/2022:** Environment Clearance for Aulliya Medium Irrigation Project at Village Roshani/Aulliya, Distt. - Khandwa, (M.P.) CCA – 5000 ha The Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Dist. Khandwa, MP,) Env. Consl.: M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon.

1. The Case was considered in 726th SEIAA meeting dated 25.05.2022 and recorded that :

- The proposed Aulliya medium irrigation project has been planned to meet the drinking and irrigation water requirement of 13 villages falling in Khalwa tehsil of Khandwa district.
- The project is being implemented and will be operated by Water Resources Department, Madhya Pradesh.
- Being an irrigation project with 5000 ha CCA, the project is covered under EIA notification, 2006 and prior environment clearance is applicable (Category B2).
- Construction work at site started before obtaining prior environment clearance and therefore it is considered a case of violation as per EIA notification, 2006 and its amendments.
- Aulliya Medium irrigation Project falls under permissible project as per SoPtd. 07.07.2021 under EIA notification (Para 11, Step 3, Para B of SOP).
- Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has prescribed the Standard Operating Process (SOP) and as per order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India.
- The case was considered in 560th SEAC meeting dated 12-03-22 and recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA.
- Committee also recommended to SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.
- After SEAC recommendation in 714th meeting dated 24.03.2022 SEIAA authority approved the ToR to carry out the EIA study as recommended by SEAC and decided to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.
- In reference to the ToR PP has submitted EIA report and after submission the case was considered in 569th SEAC meeting dated 06.05.2022 and recommended for environmental clearance.
- Meanwhile regarding (R & R) land acquisition of the Aulliya medium Irrigation project two representations one ChittaroopaPalit, representative of Narmada BachaoAandolan&


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


another from villagers of submergence area of the project, received in SEIAA office on 11.05.22 & 17.05.22 respectively and they requested regarding some issues pertaining to the R&R of the project. Both the representations were sent to PP through mail for reply and appear in person.


- Both the representative (villagers and NBA) were also called before the Authority to present their issues. PP was also called for their clarification in this regard.

Both sides heard by Authority and it is decided that PP should submit the point-wise reply incorporating all the issues raised by NBA, and villagers in the SEIAA office within 10 days.

2. In response to above PP has submitted point wise reply incorporating all the issues raised by NBA, and villagers through ADS on parivesh portal on 22.07.2022 and after receiving the reply today the case was scheduled for discussion in SEIAA meeting and it was observed that :

- Administrative approval for the construction of Aulliya Medium Irrigation Project in Khandwa district was given by the Government of Madhya Pradesh vide letter no. R 420/Medium /31/400, Bhopal dated 01.06.2017.
- It is proposed to provide Rabi irrigation in 5000 hectares area through pressurized pipe system thus benefitting 14 villages in the Khalwa tehsil of Khandwa district.
- The submergence area at proposed FTL of 355 m was calculated after detailed survey and it was found that 54.60 hectares of forest land and 382.97 hectares of private land would be under submergence. Stage I and Stage II Forest clearances were obtained from the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, New Delhi and Rs 11.87crores and 54.60 hectares of land was given to the Forest Department for compensatory afforestation in Surgaon Nipani village of Khandwa district.
- For acquisition of 382.97 hectares of private land (in villages Roshni, Barakund, Pipliabhoju and Bhojudhana of Khalwa tehsil), the process was initiated in accordance with the RFCTLARR Act 2013. A compensation case was prepared by the department in the year 2017-18 and the compensation amount was deposited to the Collector district Khandwa for payment. However, soon after the award was passed by the Collector, District Khandwa the villagers demanded a special package and started protesting and obstructing the survey work.
- The matter was brought to notice of the State Government. Thereafter, Water Resources Department, GoMP, Mantralaya Vallabh Bhawan Bhopal vide their letter no. 22A/349/39/18 dated 27.7.2018 approved a special package to meet the demand of local villagers for the land acquisition and R&R in Aulliya project (copy of letter submitted for reference). Under special package, compensation was approved to be provided at the rate of Rs. 10 lakh per hectare


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

which is more than thrice the then prevailing rate as per Collector guidelines (irrespective of irrigated or unirrigated land) and accordingly case was re-prepared.

- Similarly, the case was prepared for loss of houses, wells etc. under the special package and sent for award. The affected villagers accepted the special package and gave consent letter for taking this compensation in lieu of the provisions of RFCTLARR ACT, 2013. Copy of consent obtained from villagers is also submitted for your kind reference. So far, out of approved package of Rs 40.43 crore, compensation amounting to Rs 35.30 crore has been paid. The balance amount is pending due to absence of clear title or mutual dispute on Khasras.

In context of above, after the detail discussion the authority concluded that :

- Land compensation has been paid as per the demand of the project affected families and their consent has been obtained. The entire land acquisition process has been completed through the office of the District Collector as per the provisions of RFCT LARR Act, 2013. Regarding this, PP has submitted all supporting documents. Authority also observed that the special package, compensation i.e Rs. 10 lakh per hectare which is more than the rate as per the provisions of RFCT LARR Act, 2013.
- Besides this, The Aulliya Project is a beneficial scheme for the villagers of Khalwa, a tribal-dominated area. Water will be available for irrigation to the fields of 14 villages from the project. Fish farming will be done on a large scale in this project, due to which new employment opportunities will be available. In addition to the 5000 hectares of proposed irrigation, people around the submergence area will be able to take water from the basin and do agriculture. Drinking water crisis will be overcome in tribal dominated villages and due to increase in ground water level there will be increase in the agricultural yield. At present one crop taking area will take 2 crops and about 6528 families of poor tribals will be benefitted. On completion of the project, very dry barren land will turn fertile thereby bringing prosperity in the overall region.
- It has become a case of violation due to start of construction work before obtaining prior EC. However, a fresh TOR was issued by SEIAA, as per the provision in the law to consider violation cases for environment clearance; based on which EIA report has been submitted and SEAC has recommended the project for environment clearance after detailed appraisal which is mentioned in pg no. 35 to 56 of the 569th SEAC meeting 06.05.2022 subject to deposit of Rs. 268.29 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA, Penalty @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filing of application i.e. Rs. 32.133 lakh as per clause 12 a(i) of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21

- The project proposes construction of a 20.80 m high dam across Ghorapachhar River near Roshni village to irrigate a total 5,000 ha of Culturable Command Area (CCA) in Khalwa tehsil of Khandwa district along with water for drinking purposes.
- The project constitutes the following:
 - (i) Construction of 1782 m long Dam with a maximum height of 20.80 m from deepest riverbed level
 - (ii) Storage formed by the construction of Dam will have a Gross storage 26.246 MCM, live storage of 22.199 MCM; Culturable Command Area is 5,000 ha.
 - (iii) Water will be lifted from Pump House located at El. 358.0 m directly by gravity mains with total length of 29.679 km and further will be distributed to the sub distribution network of minors with total length of 536 km.
 - (iv) 20.15 MCM of water will be lifted in this scheme during Rabi season only. Water shall be delivered upto 5 ha chak, beyond which cultivators shall connect their own line and sprinkler system.
 - (v) The scheme is designed for 1.5 MW power requirement for which a 33 KV line will be laid.
 - (vi) A total of 4 villages of Khalwa tehsil will be affected, however no village will involve displacement of families. 329 families of 4 villages will be losing their land due to submergence.
 - (vii) The free draining catchment area at dam site is 108.208 sq.km. The interceptive catchment and Net catchment area is 11.015 sq km & 97.193 sq km respectively. The water availability at the proposed dam site has been worked out and 75% dependable yield is calculated as 20.870 MCM. The average annual utilization is worked out as 20.151 MCM i.e. 17.17 MCM for Irrigation, 0.63 MCM for drinking water and 2.351 MCM for average annual reservoir evaporation.
 - (viii) PP has proposed Rs. 2.68 crore as cost of remediation and natural community resource augmentation plan. Following are the remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation:

S. No.	Activities	Total Cost (Rs. In lakh)
1	Fisheries Development	138.00
2	Green Belt Development	17.05


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

3	Awareness and Training	5.00
4	Disaster Management	24.00
5	Environment Monitoring	14.24
6	Community Augmentation	70.00
Total		268.29

- (ix) Thus as above, PP has proposed Rs. 268.29 Lakh (including Rs. 70.00 Lakhs as Remediation Cost (community resource augmentation plan) for this project and PP, Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Dist. Khandwa, MP,) has proposed to submit a guarantee of Rs. 268.29 lakh towards Remediation Plan. In addition, expenditure already incurred on implementation of EMP is Rs. 59.4859 crore. Under Community Augmentation Plan CAP) the (Rs. 70 lakhs) PP has proposed following activities which shall be completed initial 03 years:-

Focus Area	Nature of Activity	Amount (Rs. in lakh)
Education	Education facilities are adequate in all the 16 villages as all of them have up to senior secondary schools - government as well as private. There is one primary school in each of the 16 villages, which require infrastructure support - repair and maintenance of building, furniture, potable water and toilets. Infrastructure support for existing Schools - one primary school per village for 16 villages @ Rs. 25000.00 per school	4.00
Health Care	Specialized awareness and health camp twice in a year with the help of local medical officer and Asha workers, which are available in every village @ Rs. 50,000 per camp for 4 years	4.00
	There are two primary health centres in 16 villages located at village Roshni and Ranhai. Infrastructure support is required to improve health care facility in existing PHCs. A lump amount is suggested to be used judiciously with other funds available to ensure improvement in medical infrastructure. it is proposed to provide Rs. 2.5 lakh per PHC for 2 PHCs	5.00
Infrastructure Development	Solar lights in common area in villages - street lights, community centres, village grounds, etc. in consultation with village head in each of the 16 villages @ Rs. 75,000 per village	12.00
Skill Development and Training for improved job opportunities	Skill Training of local youth for Job skills where preference will be given to PAFs; Skill development training needs will be identified and local interested youths will be shortlisted for the training. Training will be provided in ITIs for which cost will be borne by the project. Trained youths will be deployed in various WRD projects - under construction/operational through its various contractors. Lump sum budget for a 4 years period is proposed.	10.00
Environment Conservation	Tree plantation in the command area with consent of farmers in an area of about 12.5 ha (0.25% of the command area) including plantation of local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the	10.00


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण

Focus Area	Nature of Activity	Amount (Rs. in lakh)
	purpose through Gram Panchayat on suitable community land @ Rs. 80,000 per ha including maintenance for 3 years	
Awareness Program for micro irrigation and agriculture efficiency improvement	Awareness and training of farmers say for 5 WUAs for 5000 ha of 10-12 members to be trained in the first tier, who can further train farmers in their respective WUAs @ Rs. 25,000 per WUA per year for 4 years	5.00
Tribal Development	Local skill upgradation and support for income generation of local artisans	20.00
TOTAL		70.00


After due consideration of the relevant documents submitted by the project proponent and the bank guarantee of INR Rs. 268.29 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board towards Remediation Plan and Natural & Community Resource Augmentation Plan and Penalty of Rs. 32.133 lakh @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filing of application as recommended by SEAC in 569th meeting dtd. 06.05.2022 is approved by the authority and decided to grant Environmental Clearance for the proposed Aulliya Medium Irrigation Project at Village Roshani/Aulliya, Distt. - Khandwa, (M.P.) CCA – 5000 ha., subject to the following condition :-


1. It is noted that the project is sub-judice in Hon'ble High Court Jabalpur. The Environmental clearance of the project will be subject to outcome of the judgement of the Hon'ble High Court Jabalpur. Compliance of all the directions / Judgment issued by Hon'ble High Court or other Courts shall be binding on the PP.
2. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/Committee.
3. The implementation of R & R Plan to be closely monitored to ensure that all project affected families (PAFs) get adequate & timely compensation.
4. PP would ensure (Water Resource Department, GoMP) to provide LA and R and R benefits in accordance with the 2013 act / special package approved by GoMP vide letter No. 22A/349/39/18 dated 27.7.2018.
5. A grievances redress mechanism is to be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


6. The implementation of Local Area Development Plan (LADP) to be closely monitored.
7. Proposed Bio-diversity Conservation & Management Plan in EMP report should be implemented with State Forest Department. The allocated budget for this purpose shall be fully utilized and not to be diverted for any other purpose.
8. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.
9. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.
10. The catchment Area Treatment (CAT) Plan as proposed in EMP report shall be strictly implemented in consultation with Madhya Pradesh State Forest Department. Major works shall be completed before impounding of reservoir. The financial allocation for CAT Plan implementation shall be fully utilized and not to be diverted for any other purpose. Catchment Area Treatment Plan as has been proposed should be completed in five years.
11. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, greenbelt, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilised and not to be diverted for any other purpose.
12. Fishery conservation & management plan as proposed shall be implemented in consultation with the Fisheries Department, Government of Madhya Pradesh. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized and not to be diverted for any other purpose.
13. If the water of reservoir is used for drinking water supply, it should be done after conventional treatment.
14. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.
15. As the reservoir will be acting as balancing reservoir and there would be fluctuation of water level during peaking period, efforts be made to reduce impact on aquatic life including impacts' during spawning period both at the upstream and downstream of the project.



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16. PP should ensure to complete the activities listed under ecological remediation, Natural resource augmentation & community resource augmentation for a total amount of Rs. **268.29 Lakhs**. The funds shall be utilized for the remediation plan, Natural resource augmentation plan & Community resource augmentation plan as EIA/EMP report.
17. PP shall carry out the works assigned under ecological damage, natural resource augmentation and community resource augmentation within a stipulated period and submitted to same in MPSEIAA.
18. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, and construction of paved roads leading to muck disposal sites etc. shall be taken up on priority to arrest fugitive dust at all the construction sites.
19. Stabilization of muck disposal sites using biological and engineering measures shall be taken up immediately to ensure that muck does not roll down the slopes and shall be disposed safely and that it does not pollute the natural streams and water bodies in surrounding area. Report of the same to be submitted to Ministry and its Regional office.
20. The Multi-Disciplinary Committee needs to be reconstituted and the meeting needs to be held at regular interval.
21. Necessary permission to be obtained for quarrying construction materials for the project as per the EIA Notification, 2006 and subsequent amendments thereof.
22. Solid waste generated, especially plastic waste, etc. should not be disposed of as landfill material. It should be treated with scientific approach and recycled. Use of single-use plastics may be discouraged.
23. Preference to be given to the local villagers as per the requirements and suitability, in the job/ other opportunities in the project, etc.
24. Measures to be taken to develop skills of the local villagers particularly with respect to the trades related to construction works such as electrician, welder, fitter, etc

PP should deposit the bank guarantee (BG) with three years validity of Rs. 268.29 Lakhs (equivalent to amount proposed for Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board, Penalty of Rs. 32.133 lakh @ 1% of the total project cost incurred upto the date of filing of application i.e. as per clause 12 a(i) of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action initiated by MPPCB under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


EC letter may be issued by SEIAA after submission of Bank Guarantee, penalty amount and proof of the credible action received from the MPPCB.

- 4- **Case No 8636/2021:** Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at Plot No. 16 GAA, Village – MalanpurGhirongi Notified Industrial Area, Tehsil - Bhind, Dist. Bhind (MP) Total Project Area-4500 sq.m. (1.11 Acres), 1 No. Incinerator of capacity 200 kg/hr (Dry), 1 No. Autoclave of capacity 200 kg/hr, 1 No. Shredder of capacity 200 kg/hr each and ETP Capacity – 7.5 KLD (MBBR) by M/s VNS Solution, Smt. Saroj Sharma, 240, New Jiwaji Nagar, Thatipur, Dist. Gwalior, MP - 474001 Email: vnssolution10@gmail.com Env. Consultant Shri Arvind Singh, M/s. AmaltasEnviro Industrial Consultants LLP, Gurugram.

1. यह प्रकरण 200 किलो ग्राम प्रतिघंटे की क्षमता वाले CBWTF की स्थापना प्लॉट नं. 16 जीएए ग्राम मालनपुर घिरोंगी, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में लगाने के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है।
2. परियोजना हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा CTE-54483 dated 21.10.2021 जारी की गई है।
3. परियोजना हेतु SEAC की 516वी बैठक दिनांक 23.09.2021 को ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की थी जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 4 से 8 पर अंकित है।
4. परियोजना हेतु SEIAA द्वारा SEAC के प्रस्ताव अनुसार कुछ अतिरिक्त शर्तों को शामिल करते हुए बैठक 690 वी दिनांक 22.10.2021 में ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

Particulate	Details
Name of the project & Proponent	Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) Mrs. Saroj Sharma of M/s. VNS Solution
Location	Plot no 16 GAA MalanpurGhirongi District Bhind (M.P)
Geographical Coordinate	26°20'43.02"N, 78°16'21.59"E
Nearest Railway Station	Gwalior Railway Station – 16.9 km in SW direction.
Nearest Highway	NH 92- 1.2 Km (SE
Nearest Airport	Gwalior Airport– 5.46 Km in SW direction away from the site
Project capacity	✓ 1 No. Incinerator of capacity 200 kg/hr (Dry) ✓ 1 No. Autoclave of capacity 200 kg/hr ✓ 1 No. Shredder of capacity 200 kg/hr each ✓ ETP Capacity – 7.5 KLD (MBBR)
Total Land Area	4500 Sq.mt. (1.11 Acre)
Open Area	809.23 sq.mt.
Green Area	Green belt shall be developed in 1138.66 sq. mt. (33%) in accordance with CPCB guidelines by planting 300 numbers of native trees along the


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

	Peripheral plantation, Road side plantation, Plant & ETP Area etc.
Water Requirement	Water Requirement Approximately 5 KLD of water required during construction of the unit from Private water tankers. Water Demand in Operational Phase will be 15 KLD.
Source of Water	Water will be met from Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited for which PP has obtained permission
Air Emission Management	To control emissions from incinerators, Ceramic Filter Bag House shall be provided. Chimney (30.0 m above ground level) will be provided from the incineration process after Ceramic Filter bag House. A lean concentration of NaOH Solution and water will be used to neutralize the flue gasses/solutions. For mitigation of impacts of air pollution from boiler, multicyclone and wet scrubber followed by stack height minimum of 30.0 m above ground level shall be provided.
Waste water generation & management	Wastewater generated 7.1 KLD from the treatment of biomedical waste during incineration, autoclaving, washing of floors, vehicle wash platform, etc. will be treated in the Effluent Treatment Plant. The treated water would be recycled in the plant to reduce the amount of water used.
Solid waste generation & management	Total 15.0 kg/day solid waste will be generated. Out of which 9.0 kg/day of Bio-degradable waste will be sent to solid waste disposal site. 200 kg/hr capacity of Autoclaved Plastic & rubber etc. will be sent to Shredder & then from Shredder it will be sent to authorized recyclers. Sharps will be treated in autoclave. After autoclaving, sharps will be encapsulated. Glass bottles shall be sold to recyclers after chemical disinfection. Incineration ash and ETP sludge will be sent to authorized TSDF site at Pithampur Dist Dhar (MP) Waste /spent oil from DG set and machineries shall be given to authorized recyclers.
Storm Water Management	Proper storm water channeling shall be provided. Rainwater collection tank has provided within the plant layout. Location of rainwater collection tank has been decided based of the elevation so as to collect the water by natural gravity. This water shall also be used for plant operation and other purpose
Odor management	The mitigation measures proposed to minimize and control odor are as follows. <ul style="list-style-type: none"> • Wash waste collecting vehicles, containers, and storerooms frequently. • Treatment of bio-medical wastes within 48 hours • Closed cabin vehicles shall be used for the collection and transportation of biomedical wastes. • ETP sludge shall be sent to TSDF site as early as possible. • Mask shall be provided to workers to avoid health issues due to odor. • Enough green belt will be developed.
Electricity/Power Requirement	✓ Approx. 42 kVA for operation phase

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**


	✓ Supply source – (MPEB) ✓ Back up- DG. Set of 200 KVA capacities as standby
Man-power	During construction phase, the labours and workers will be hired from nearby areas. Total about 50 persons are proposed to be hired for plant operations including officers, skilled and unskilled workers.
Total project cost	Rs. 205 Lacs
CER	Under CER activities PP has proposed adopt an Animal and will look after it, after taking permission from the local forest Authority. Regular medical health checks up camps in nearby villages Funding proposed for the vill.: Atrari (Gurh) under "Agnawadi Poshan Aahar Yojna" with budgetary provision of Rs. 6.0 lakh


- पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन पर SEAC द्वारा 548वी बैठक दिनांक 10.02.2022 में अनुश्रवण किया तथा वांछित जानकारी चाही गई।
- SEAC द्वारा 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 को उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रकरण की पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 46 से 59 पर अंकित है।
- SEAC की अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को SEIAA की 713वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में निर्णय हेतु रखा गया, किन्तु प्रकरण माननीय एनजीटी में ओ.ए. नम्बर 22/2022 के तहत सुनवाई में था जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.03.2022 के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया **"Since the project is presently under sub-judice (OA no. 22/2022) it would be appropriate to await the decisions of the Hon'ble NGT Central bench, Bhopal in this case. After detailed deliberations, SEIAA decided to defer the matter till final decision in OA no. 22/2022 which is presently pending in the Hon'ble NGT Central bench, Bhopal."**
- परियोजना प्रस्तावक के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था जिसे SEIAA की 726वी बैठक दिनांक 25.05.2022 में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत मेसर्स वी. एन.एस. सोल्यूशन परियोजना के आवेदन का परीक्षण कर निर्णय लिया गया कि "चूंकि मेसर्स वी.एन.एस. सोल्यूशन परियोजना मालनपुर द्वारा प्रस्तावित सीबीडब्ल्यूटीएफ योजना के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में ओ.ए. नम्बर 22/2022 (cz) धर्मेन्द्र गायकवार एवं अन्य के द्वारा दायर याचिका लंबित हैं, जिसके तहत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (cz) भोपाल द्वारा सुनवाई कर पारित आदेश दिनांक 09.03.2022 के अनुसार एक संयुक्त कमेटी गठित करने के निर्देश दिये गये जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, SEIAA के सदस्य नामांकित किये गये हैं एवं समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रकरण की वस्तुस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना निर्देशित है।" माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में SEIAA की 713वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में प्रकरण पर निर्णय लंबित रखा गया है।

परियोजना प्रस्तावक के उक्त आवेदन में यह भी उल्लेख दिया गया है कि प्रकरण क्र. 8755/2021 को SEIAA की 713वी बैठक दिनांक 23.03.2022 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्र. WP 0791/2022 के आदेश के अधीन रखते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार आवेदक के उक्त प्रकरण 8636/2021 में भी पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आवेदन पर एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय अधिकरण में विचाराधीन प्रकरणों के अवलोकन में पाया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई भी कार्यवाही आदेशित अथवा स्थगन नहीं था, जबकि माननीय अधिकरण के प्रकरणों में अधिकरण द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वीं बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

SEIAA के नामांकित सदस्यों की जाँच समिति गठित कर प्रतिवेदन चाहा गया है, अतः प्रकरण 8636/2021 में SEIAA द्वारा 713वीं बैठक दिनांक 23.03.2022 में निर्णित कार्यवाही यथावत रखी जाती है।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सरोज शर्मा प्रोपराईटर वी.एन.एस. सोल्यूशन ग्वालियर द्वारा दिनांक 23.07.2022 को मेल प्राप्त हुआ है जिसमें प्रकरण को सुनवाई हेतु SEIAA बैठक में रखने हेतु निवेदन किया गया है।

9. पत्र के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा विचार करते हुए सुनवाई हेतु बैठक दिनांक 30.07.2022 को प्रकरण रखा गया जिसमें वीएनएस सोल्यूशन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल शर्मा उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा प्रकरण से संबंधित मुद्दों पर अवगत कराया गया कि माननीय एनजीटी में चल रहे प्रकरण में वादी द्वारा हर सुनवाई में अपना अधिवक्ता बदल दिया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी द्वारा प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने की चेष्टा की जा रही है तथा माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु रोक भी नहीं लगाई है।


10. प्राधिकरण द्वारा आवेदक का पक्ष सुनने के बाद माननीय एनजीटी में चल रहे प्रकरण में पारित आदेशों (दिनांक 09.05.2022, 12.07.2022, 25.07.2022, 28.07.2022) का अवलोकन किया साथ ही माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2022 के तहत बिन्दु क्र. 4 के निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा जमा किये गये प्रतिवेदन का भी अध्ययन किया। उक्त प्रतिवेदन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुल बैड की संख्या 34306 बताई है, जिससे 23215 बैड को सीटीओ दिया गया है तथा 9596 बैड ऐसे चालू अस्पतालों के हैं जिन्हें सीटीई दी गई है, इस प्रकार कुल बैड 32811 से जैव अपशिष्ट का निष्कासन हो रहा है।


यदि राष्ट्रीय जैव अपशिष्ट निष्कासन के पाँच वर्ष का औसत देखा जाये तो प्रति बैड यह 274.10 किलो ग्राम प्रतिदिन है। उक्त मानक के आधार पर ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना जिलों के जैव अपशिष्ट की प्राकलित मात्रा 8993 किलो ग्राम प्रतिदिन होगी, जिसमें जलाने योग्य मात्रा 5845 किलो ग्राम (65 प्रतिशत) होगी। उक्त क्षेत्र में एक CBWTF (M/s Devis Surgico) का 100 किलो ग्राम प्रतिघंटे का प्लांट स्थापित है, यदि यह प्लांट 10 घंटे चलेगा तो भी यह 1000 किलोग्राम प्रतिदिन जैव अपशिष्ट का निष्पादन कर सकेगा। इस स्थिति में भी लगभग 4845 किलो ग्राम प्रतिदिन का जैव अपशिष्ट शेष रह जायेगा। Bio-medical Waste Management Rules, 2016 के दिशा निर्देशानुसार जैव अपशिष्ट का उपचार एवं निष्पादन 48 घंटे के अंदर किया जाना आवश्यक होता है।

उल्लेखनीय होगा कि पिछले दो-तीन वर्षों में कोविड-19 की महामारी की वजह से उपचार हेतु अस्पतालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिनसे निरंतर रूप से जैव अपशिष्ट के उत्सर्जन में भी काफी वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस उत्सर्जित जैव अपशिष्ट का निष्पादन ना होने से पर्यावरण एवं आमजन जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस कारण जैव अपशिष्ट के निष्पादन हेतु अन्य CBWTF की आवश्यकता है साथ ही SEAC द्वारा भी इसकी अनुशंसा की गई है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी आवश्यकता अनुभव करते हुए प्रस्तावित मेसर्स वी.एन.एस. एवं मेसर्स जे.आर.आर. को CBWTF की स्थापना हेतु सीटीई जारी की है। अतः नवीन CBWTF आने से जैव अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक होगा। माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशों में भी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु कोई भी रोक नहीं लगाई है, अतः प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता, जनहित एवं पर्यावरण को देखते हुए विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को माननीय एनजीटी के निर्णय के आधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।


अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 558वीं बैठक दिनांक 04.03.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Prior Environment Clearance for proposed "Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at Plot No. 16 GAA, Village – MalanpurGhirongi Notified Industrial Area, Tehsil - Bhind, Dist. Bhind (MP) Total Project Area-4500 sq.m. (1.11 Acres), 1 No. Incinerator of capacity 200 kg/hr (Dry), 1 No. Autoclave of capacity 200 kg/hr, 1 No. Shredder of capacity 200 kg/hr each and ETP Capacity – 7.5 KLD (MBBR) by M/s VNS Solution, Smt. Saroj Sharma, 240, New Jiwaji Nagar, Thatipur, Dist. Gwalior, MP - 474001 subject to following Specific Condition along with the conditions as per Annexure 2.

1. The Environmental clearance of the project will be subject to outcome of the judgment of the Hon'ble National Green Tribunal. Compliance of all the directions / Judgment issued by Hon'ble NGT or other Courts shall be binding on the PP.
2. This EC will be subject to the establishment criteria to be decided by the MPPCB.
3. The entire demand of fresh water should be met through MIDC and there should be no extraction of ground water.
4. Proponent shall strictly comply the design criteria for incinerator, autoclave, shredder and all other requirements as per CPCB guidelines.
5. ZLD status shall be maintained all the time.
6. PP should ensure to implement the need based activities under CER in consultation with district administration/village panchayat /MPIIDC.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Dissenting decision of Member

I have shown my disagreement with the decision taken on case no 8636/2021. The basis of my disagreement.

"As per the Hon'ble National Green Tribunal OA No. 22/2022 (CZ) Dated 12.07.2022 "The version of the SEIAA is that there a significant gap between the number of beds registered with the MPPCB and CBWTF and, thereofre, the fresh gap analysis needs to be conducted by the MPPCB, so that further required action may be initiated and taken by the SEIAA".

Gap analysis which was suggested by MPSEIAA only and quoted by Hon'ble NGT in its order and which is also going to be the main basis of decision to be taken by MPSEIAA for grant of EC. It is therefore suggested that unless the Order of Hon'ble NGT is complied and appropriate orders are passed we should wait .

(Anil Kumar Sharma)
Member, SEIAA

5. प्रकरण कमांक 8255/2021 - परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे आत्मज श्री अरुण खरे, निवासी-इन्द्रपुरी कॉलोनी, आईएसटी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 24519 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 236/1, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम श्रीनगर भाटा, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 733वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-


".....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह पाया कि उक्त खदान क्लस्टर समूह में होने के कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी में है इसलिये प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में क्लस्टर के प्रबंधन की योजना का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाना चाहिये।


उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर इन्वायरमेन्टर मैनेजमेन्ट प्लान ई.आई.ए. में सम्मिलित नहीं है अतः 15 दिवस के अंदर SEIAA में प्रस्तुत करें, जिसमें इसे कैसे लागू किया जायेगा इसका भी विस्तृत विवरण का समावेश करें। तदुपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा तथा वाछित जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 26.07.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा चाही गई क्लस्टर प्रबंधन योजना प्रस्तुत की गई है तथा प्रकरण को Relist कर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 563 वी बैठक दिनांक 04.04.2022 की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-ए) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन होने एवं उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदान धारकों के सहयोग से क्लस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**


- V. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- VI. कलस्टर प्रबंधन योजना में संयुक्त रूप से यानि कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तथा पहुँच मार्ग का प्रबंधन, कलस्टर का पर्यावरण मॉनिटरिंग इत्यादि के बारे में कैसे कार्यवाही की जायेगी इसके बारे में पर्यावरण सेल का गठन कर उसका Implementation सुनिश्चित किया जाये।
- VII. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

S. No.	Proposed Plantation Site	Plant Species	Quantity (Numbers)
1	बैरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	चिरोल, पीपल, व पलाश एवं स्थानीय प्रजातियां	1000
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	जामुन, करंज, पीपल, व पलाश एवं स्थानीय प्रजातियां	1800
3	श्रीनगर स्कूल एवं ग्राम पंचायत श्रीनगर के पास तथा ग्राम से पहुँच मार्ग तक वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां।	1500
4	श्रीनगर ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व नीम एवं स्थानीय प्रजातियां	500
Total			4800

- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम श्रीनगर शासकीय प्राथमिक शाला एवं ग्राम पंचायत के पास सड़क (500मीटर लम्बी x 3.5 मीटर चौड़ी) सड़क का निर्माण किया जाये एवं उसका रखरखाव किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम श्रीनगर के प्राथमिक शाला में 50 बेन्च, 20 कुर्सी एवं 02 ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की जाये एवं स्कूल बिल्डिंग का रिनोवेशन किया जाये।
- ग्राम श्रीनगर में ग्रामवासियों हेतु वर्ष में दो बार चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाये एवं औषधि वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी। यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त कार्य किसी अन्य शासकीय योजना में पूर्व से ही सम्मिलित /स्वीकृत न हो।


परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे आत्मज श्री अरुण खरे, निवासी-इन्द्रपुरी कॉलोनी, आईएसटी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 24519 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 236/1, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम श्रीनगर भाटा, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, के आदेश क्र. 10125-28 दिनांक 19.06.2018 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.06.2028 तक मान्य रहेगी।


6. प्रकरण क्र. 8999/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मनुप्रिया यादव, निवासी- भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला - मंदसौर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर -8,512 एवं सेलेबल वेस्ट 5,488 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम बावुल्दा, तहसील भानपुरा जिला- मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 733वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

".....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वांछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को Delist किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 26.07.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा चाही गई 500 मीटर में स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर के पत्र क्र. 295 दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है तथा प्रकरण को Relist कर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 562 वी बैठक दिनांक 29.03.2022 की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-ए) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले शवदाह शेड से 100 मीटर प्रस्तावित खदान तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन होने एवं उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, सफेद कैस्टर, करंज, आवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1350
2	परिवहन मार्ग में (पेडो की न्यूनतम ऊँचाई - 01 मीटर)	करंज, महुआ, चिरोल, पुत्रंजीवा जंगल जलेबी, नीम, मोलश्री सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	500
3	खदान क्षेत्र में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	आवला, करंज, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, सुबबूल सिस्सू पुत्रंजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	850
4	खदान क्षेत्र के पास स्थित मुक्तिधाम में	पाकड़, मोलश्री कदम बरगद सफेद कनेर पीपल करंज, आवला, चिरोल, नीम, मोलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	कुल वृक्षारोपण ,	3200
--	------------------	------

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- खदान क्षेत्र के पास स्थित मुक्तिधाम परिसर में हैण्डपम्प लगवाया जाये।


साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी। यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त कार्य किसी अन्य शासकीय योजना में पूर्व से ही सम्मिलित /स्वीकृत न हो।


परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मनुप्रिया यादव, निवासी- 'भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला - मंदसौर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर -8,512 एवं सेलेबल वेस्ट 5,488 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम बावुल्दा, तहसील भानपुरा जिला- मंदसौर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर के पत्र क्र. 1697 दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.05.2031 तक मान्य रहेगी।

7. प्रकरण क्रमांक 9007/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री तरनजीत सिंह बेदी आत्मज स्व. श्री अमरजीत सिंह बेदी, निवासी -श्याम टाकीज, तहसील एवं जिला छिदवाडा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता स्टोन 49,379 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 364/2, रकबा 3.744 हेक्टेयर, ग्राम भानादेही, तहसील एवं जिला छिदवाडा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 722वी बैठक दिनांक 07.05.2022 में पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमोदित कर दिनांक 23.05.2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 27.07.2022 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की शर्त क्र. 2 "परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से 100 मीटर प्रस्तावित खदान तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वी बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण**

जाये।' को हटाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छिन्दवाड़ा का पत्र क्र. 801 दिनांक 16.06.2022 प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त शर्त को विलोपित किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर **Amendment of EC** में आवेदन किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9212/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पायल बनेन, निवासी 81, राजेन्द्र नगर, जिला (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 3/1/1/1, ग्राम सांवलियारौंदी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 736वी बैठक दिनांक 12.07.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 583वी बैठक दिनांक 30.06.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

".....प्रकरण आज बैठक कमांक 583वीं दिनांक 30/06/22 एवं 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।"


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 583वी बैठक दिनांक 30.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 27.07.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 8897/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अरुण त्यागी आत्मज श्री बब्वन त्यागी, निवासी-मकान नं. 213, ईडब्ल्यूएस, नोर्थ टी.टी. नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, उत्पादन क्षमता 9060 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 588/1/1क, ग्राम खौरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 712वी बैठक दिनांक 10.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 740वीं बैठक दिनांक 30.07.2022
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 556वीं बैठक दिनांक 02.03.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से SEAC की 556वीं बैठक दिनांक 02.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया, तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्रमांक 8948/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री रूपलाल कोल आत्मज श्री प्रेमलाल कोल, निवासी ग्राम तेमर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 142/5, रकबा 1.60 हेक्टेयर, ग्राम अमझेर, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 733वीं बैठक दिनांक 21.06.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-


“प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 713वीं बैठक दिनांक 23.03.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-


परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जबलपुर का पत्र क्र. 3063 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत होना बताया गया है जिसका कुल रकबा 1.800 है। यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार कई अन्य खदान होना भी परिलक्षित है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जबलपुर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जबलपुर से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक सिया कार्यालय मे आप्राप्त है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।”

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जबलपुर द्वारा ई-मेल दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा चाही गई 500 मीटर में स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी पत्र क्र. 1356 दिनांक 02.05.2022 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है तथा प्रकरण को Relist कर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 558 वीं बैठक दिनांक 04.03.2022 की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट शर्तों


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


(परिशिष्ट-ए) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानव बसाहट एवं नहर से 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन होने एवं उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1920 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	620
4	ग्राम पंचायत अमझर के प्राथमिक शालाए आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	इमली, आम, आँवला, सीताफल, कबीट एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
योग			1920

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम अमझर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पक्के चबूतरे का निर्माण किया जाये।
- ग्राम अमझर के शासकीय प्राथमरी स्कूल की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी। यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त कार्य किसी अन्य शासकीय योजना में पूर्व से ही सम्मिलित /स्वीकृत न हो।


परियोजना प्रस्तावक श्री रूपलाल कोल आत्मज श्री प्रेमलाल कोल, निवासी ग्राम तेमर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 142/5, रकबा 1.60 हेक्टेयर, ग्राम अमझर, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर के पत्र क्र. 1743 दिनांक 28.10.2017 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.10.2027 तक मान्य रहेगी।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रित खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माइनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-


19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


कॉमन बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेंट की विशिष्ट शर्तें:


1. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
2. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
3. PP will take prior permission of MPPCB for establishing CBWTF at the site in reference to revised guideline of CPCB-2016 for CBWTF before installation.
4. Compliance of all the directions / Judgment issued by NGT or other Courts shall be binding on part of the PP
5. PP should install adequate ETP for treatment and disposal of effluent and Zero discharge should be maintained.
6. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water.
7. Guidelines of CPCB/MPPCB for Bio-Medical Waste Common Hazardous Wastes Incinerators shall be followed.
8. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
9. Ecosorb (organic and biodegradable chemical) and alumina will be used around odor generation areas at regular intervals for dilution of odorant by odor counteraction or neutralize.
10. PP will ensure to use only non chlorinated bags for handling and storing bio medical waste. In any case, PP is not allowed to use poly and plastic bags.
11. All safety measures will be strictly followed by workers for handling of Bio medical waste bags during storage and feeding at incinerator to prevent health hazards.
12. Incinerator should be properly interlocked with venture scrubber to control air pollution.
13. Incinerated ash and ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard should be done prior to the commencement.
14. Color coding for handling waste be strictly followed as per BMW Rules 2016.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


15. PP should ensure the rain water harvesting by providing of recharging pits. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.
16. PP will install continuous online monitoring system to monitor the emissions from the stack. Periodical air quality monitoring in and around the site shall be carried out. The parameters shall include Dioxin and furan.
17. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.
18. Necessary provision shall be made for fire fighting facilities within the complex.
19. PP should carryout periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC.
20. PP shall ensure to conduct quarterly health check up of workers working in the plant.
21. PP will construct garland drain of appropriate size and settling tank with stone pitching all around the plant premises.
22. PP should develop 5 m green belt all along the periphery of the species that are significant and used for the pollution abatement. Besides this, PP will explore the possibility to develop dense green belt by planting thick foliage trees.
23. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.
24. The proponent should ensure that the project fulfills all the provisions of Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 including collection and transportation design etc and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration - 2005, issued by CPCB.
25. The Leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.
26. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.
27. The containers should be covered during transportation in order to prevent exposure of public to odors and contamination.
28. PP should have two storage rooms separately for treated and untreated waste.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

29. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.
30. PP should develop green belt at least minimum of 33% in plant premises as per CPCB guidelines with native species/Pollution absorbing species.
31. All the recommendations, mitigation measures, environmental protection measures and safeguards proposed in the EIA report of the project submitted by project proponent vide commitments made during presentation before SEAC and proposed in the EIA report shall be strictly adhered to in letter and spirit.
32. The unit shall strictly comply with CPCB guidelines for setting up the common biomedical waste treatment facility


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष